>

Title: Regarding the cases still pending in connection with the 2G Specturm scam.

श्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर): सभापति महोदय, वÂाऩ 1990 में एक स्पेक्ट्रम का अलाटमेंट किया गया था, जो कि चार कम्पनियों को दिया गया था, जिनमें एयरटेल, वोडाफोन तथा दो अन्य कम्पनियां थीं। इन्हें सिंगल बैंड कम्यूलिटिव फ्रिक्वेंसी के आधार पर स्पेक्ट्रम बेचा गया था, जबकि इन कम्पनियों के द्वारा आज तक सिंगल बैंड के आधार पर ही सरकार को भुगतान किया जा रहा है, जबकि इन्हें दोनों तरफ का भुगतान करना था। इस मामले को जेपीसी में भी छुपाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय दूर संचार मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि यह इस प्रकार की फ्रिक्वेंसी है, जैसे किसी हाईवे पर कोई गाड़ी एक तरफ से जाती है तब भी पेमेंट करना पड़ता है और जब दूसरी तरफ से आती है तब भी पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसमें मात्र एक तरफ से कर रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण मामले को इन्होंने जेपीसी में भी छिपाया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं,...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Any material which you want to send to the JPC, they will definitely consider it. You can write a letter to the JPC Chairman. He will definitely look into this matter.

श्री मिथिलेश कुमार : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मामले की माननीय दूर संचार मंत्री गंभीरता से जांच कराएं और जांच कराकर उन लोगों ने जो घोटाला किया है, उस पर कार्रवाई की जाए, उनसे पैसा वसूला जाए जिससे हमारे देश हित में कार्य हो सके।